न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट बैनीसर)

मुकदमा नंबर 81/2019

आनलाईन नंबर 2019/00167

निर्णय दिनांक:16.10.2021

सरस्वती देवी पत्नी मामराज सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी—

उपस्थिति:—

1.ओमप्रकाश सिद्ध अभिभाषक वादी

2.पैरोकारराज स्टैट तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एव धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह वाद सरस्वती देवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीनी ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की मूल निवासनी है। तथा वादीनी की खातेदारी का एक खेत खसरा नं. 238 तादादी 3.5400 है बारानी रोही ग्राम भोजास तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में अवस्थित है। वादीनी ने उपरोक्त खेत खसरा नं 238 तादादी 3.5400 है बारानी रोही ग्राम भोजास तहसील श्रीडूंगरगढ दिनांक 30.01.2004 को गांव की ही हरखा देवी धर्म पत्नि भोजास मोहन नाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर से खरीद किया था तथा उसी दिनांक को विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय श्रीडूंगरगढ में सम्पादित करवाया था। वादीनी ने दिनांक 03.09.2019 को बैक मे केसीसी बनवाने हेतु आवेदन किया तो बैक ने केसीसी बनाने एवं ऋण देने से इनकार करते हुये बताया की आपका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन है जिससे शुद्व करवाकर जाओ तब वादरनी ने उसी दिन ई मित्र कियोस्क से अपने खेत की जमाबंदी निकलवायी तो वादीनी को पता चला कि वादीनी के खेत कि जामबंदी में नाम विमल देवी पत्नी मामराज दर्ज है जब कि उसका वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी मामराज है तथा समस्त पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड व चुनाव परिचय पत्र बैक पासबुक्स परिवार राशन कार्ड में दस्तोवेजो में उसका नाम सरस्वती देवी है जो उसका वास्तविक शुद्ध नाम है। वादीनी द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित करवाते समय वादीनी ने प्रलेख लेखक को अपना वास्तविक नाम सरस्वती देवी ही बताया था लेकिन विक्रय पत्र लिखते समय प्रलेख लेखक ने गलती से वादीनी का विक्रय पत्र ने नाम उसके वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी मामराज के स्थान पर विमला देवी पत्नी मामराज अंकित कर दिया तथा इस कारण वादीनी का नाम उपरोक्त खेत के राजस्व रिकार्ड में भी उसके वास्तविक नाम सरस्वती देवी के स्थान पर विमला देवी दर्ज हो गया। वादीनी का वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी माामराज है परन्तु प्रलेख लेखक की गलती [illegible] रिकार्ड में वादीनी का नाम उसके वास्तविक नाम सरस्वती देवी के स्थान पर [illegible] की गलती के कारण विमला देवी अंकित हो गया। वादीनी का उपरोक्त [illegible] 238 तादादी 3.54 है रोही ग्राम भोजास के खेत के राजस्व रिकार्ड में नाम उसके वास्तविक नाम सरस्वती देवी के स्थान पर विमलादेवी अंकित होने से वादीनी को उसके [illegible]मित्व के उपरोक्त खसरा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खेत में कृषि कार्य हेतु सुधार करवाने व बैंक से कृषि ऋण लेने में परेशानी हो रही है एवं वादीनी अपने खेत में कृषि हेतु एवं भूमि सुधार करवाने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले पा रही है। वादीनी ने प्रतिवादी रजिस्ट्रार से दिनांक 04.09.2019 सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर उसके नाम विमलादेवी के स्थान पर वास्तविक नाम सरस्वती देवी अंकित करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने उपरोक्त दिनांक 04.09.2019 को उपरोक्त खसरा नं के खेत के राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जो कि वादीनी को वाद का आधार एवं वाद हेतुक है। दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण एवं औपचारिक पक्षकार होने के कारण तो माह के नोटिस के अनिवार्यता से छूट होने हेतु धारा 80 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। वादीनी का वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी भामराज ही है तथा वादीनी के समस्त पहचान के दस्तावेजो आधार कार्ड चुनाव परिचय पत्र एवं परिवार राशन कार्ड में भी उसका वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी भामराज अंकित है व वादीनी की बैंक पासबुक्स व सरपंच ग्राम पंचायत बेनीसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी वादीनी का नाम सरस्वती देवी पत्नी भामराज है अत वादीनी विक्रय पत्र में प्रलेख लेखक की गलती से अंकित उसके नाम विमलादेवी के स्थान पर अपने स्वामित्व के खेत खसरा नं 238 तादादी 3.6400 है बारानी रोही भोजासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी भामराज दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारणी है एवं तदनानुसार अपना वास्तविक नाम सरस्वती देवी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड अंकित करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारणी है। वादीनी के स्वामित्व का खेत रोही भोजासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थितहोने के कारण दावा श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। दावा अन्दर मियाद एवं उचित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवा मे पेश है।

अतः दावा पेश कर सादर निवेदन किया है कि वादीनी का दावा निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे:-

(क) यह कि वादीनी के स्वामित्व के खातेदारी खेत खसरा नं 238 तादादी 3.6400 है बारानी वाके रोही भोजासर के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी का नाम विमला देवी के स्थान पर वादीनी का वास्तविक नाम सरस्वती देवी जो उसके पहचान के समस्त दस्तावेजो में अंकित है दर्ज करवाकर वादीनी के वास्तविक नाम सरस्वती देवी दर्ज करने की घोषणा की जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादीनी का राजस्व रिकार्ड मे नाम विमलादेवी के स्थान पर वास्तविक नाम सरस्वती देवी दर्ज किया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीनी हो दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को [illegible] गण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार [illegible] उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश [illegible] सुनी गई। तनकी संख्या 1 व 2 साबित करने का भार [illegible] शपथ पत्र बयानों मे वादगत खसरा भूमि का विक्रय [illegible] व वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक जमा पर्ची व सरपंच [illegible] पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, की प्रतियां क्रमश प्रदर्श 07, 08, 09,10,11 पेश किये है। दस्तावेजों में प्रदर्शित करवायें दस्तावेजो में वादिनी का नाम सरसवती देवी पत्नी भामराज सिद्ध अंकित है। प्रदर्श 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विक्रय पत्र में वादिनी का नाम विमला देवी पत्नी मामराज सिद्ध दर्ज है। चूंकि उपर्युक्त दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या यह साबित है कि विमला देवी व सरसवती देवी पत्नी मामराज सिद्ध एक ही महिला है। वादिनी ने बयानों में यह कथन किया है, उसके घरेलू बोलचाल का नाम विमला देवी होने के कारण विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2004 में क्रेता के नाम में विमला देवी पत्नी मामराज सिद्ध अंकित हुआ है। वादीनी द्वारा खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र प्रदर्श 01 पत्रावली में शामिल है। जिसमें भी ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी द्वारा विमला देवी व सरस्वती देवी पत्नी मामराज सिद्ध का एक ही महिला होने की रिपोर्ट की गई है। उक्त साक्ष्य के विवेचन से तनकी संख्या 1 वादिनी द्वारा आंशिक रूप से साबित हुई है। वादिनी सरस्वती देवी को विमला देवी के नाम से जाना पुकारा जाता है, इसलिए कथित विक्रय पत्र में अंकित विमला देवी के नाम को राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जान उचित नहीं है बल्कि विमला देवी उर्फ सरस्वती देवी पत्नी मामराज जाति सिद्ध निवासी बेनीसर का नाम राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम दर्ज किया जावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती को तनकी संख्या 2 वादिनी के पक्ष में साबित है। वादिनी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 238 तादादी 3.5400 हैक्टेयर रोही ग्राम ग्राम भोजास विमलादेवी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज विमला देवी के नाम के आगे उर्फ सरस्वती देवी दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को दिया जाता है कि वे उक्त खसरा भूमि में खातेदार के रूप में विमला देवी उर्फ सरस्वती देवी पत्नी मामराज जाति सिद्ध निवासी बेनीसर के नाम दर्ज करें। तद्नुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करनें बाबत् अन्तिम डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2021 को कैम्प कोर्ट बेनीसर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ (कैम्प बैनीसर)
पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

सरस्वती देवी पत्नी मामराज सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 81/2019

निर्णय दिनांक 16.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री ओमप्रकाश सिद्ध धवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है खेत खसरा नंबर 238 तादादी 3 5400 हैक्टेयर रोही ग्राम ग्राम भोजास विमलादेवी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज विमला देवी के नाम के आगे उर्फ सरस्वती देवी दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को दिया जाता है कि वे उक्त खसरा भूमि में खातेदार के रूप में विमला देवी उप सरस्वती देवी पत्नी मामराज जाति सिद्ध निवासी बेनीसर के नाम दर्ज करें तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 10 सन् 2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ